रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936
No. 116] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गोवा, 19 फरवरी, 2014

सं. जेईआरसी-14/2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इनके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) ने अभी तक हुए अनुभवों के आधार पर तथा विभिन्न शेयरधारकों से समय-समय पर प्राप्त जानकारी से यह महसूस किया है कि जेईआरसी (अक्षय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:

(1) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा की खरीद) प्रथम संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रधान विनियमों में उप-विनियम (1.1) की तालिका-1 में संशोधन-तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना है:—

तालिका-1

वित्तीय वर्ष	अक्षय ऊर्जा की अक्षय खरीद बाध्यता (आरओपी) की न्यूनतम मात्रा (कि.वॉट में)		
	कुल आरपीओ (%)	सौर आरपीओ(%)	गैर-सौर आरपीओ(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010-11	1.00	0.25	0.75
2011-12	2.00	0.30	1.70
2012-13	3.00	0.40	2.60
2013-14	3.00	0.40	2.60
2014-15	3.30	0.60	2.70
2015-16	3.55	0.85	2.70
2016-17	3.95	1.15	2.80

(1)	(2)	(3)	(4)
2017-18	4.30	1.50	2.80
2018-19	4.65	1.85	2.80
2019-20	5.10	2.20	2.90
2020-21	5.50	2.60	2.90
2021-22	6.00	3.00	3.00

3. मूल विनियमों में विनियम 1 उप-विनियम (2) में संशोधन—इस उप-विनियम को हटा दिया जाएगा।

4. विनियम 2 (त) में संशोधन। 'अक्षय ऊर्जा स्रोतों' की परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"अक्षय ऊर्जा स्रोतों" का अर्थ विद्युत सृजन करने वाले स्रोतों से है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हो तथा इनमें बंडल पॉवर खरीद (बंडल पॉवर की सीमा तक), सह-सृजन आधारित विद्युत संयंत्रों से सृजित बिजली शामिल हो, जिसमें प्रयुक्त ईंधन गैर-जीवाश्म ईंधन हो जो अक्षय स्रोतों के अनुसार एमएनआरई द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त तथा राज्य अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रमाणित हो।

5. विनियम 2 (ट) में संशोधन। 'बाध्यता इकाई' की परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"बाध्यता इकाई" का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत अक्षय खरीद बाध्यता को पूरा करने के लिए अधिनियम की उप-धारा (1) भाग 86 के खंड (ङ) के अंतर्गत अध्यादेशित इकाई से है और इसमें वितरण लाइसेंस, 1 मेगावाट और अधिक के लिए कैप्टिव प्रयोक्ता तथा जीवाश्म ईंधन (इसमें सह-सृजन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र शामिल नहीं है) तथा खुला उपयोग करने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।

6. विनियम 2 में संशोधन। 2 (ध) के रूप में निम्नलिखित परिभाषा को जोड़ा जाए:—

"अक्षय खरीद बाध्यता" का अर्थ अक्षय ऊर्जा स्रोतों से सृजित बिजली खरीदने के लिए बाध्यता इकाई हेतु अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अंतर्गत तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अध्यादेशित मात्रा से है।

राजीव अमित, सचिव,
गोवा और संघ शासित क्षेत्र के लिए जेईआरसी

[विज्ञापन III/4/असाधारण/218-I/13]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Goa, the 19th February, 2014

No. JERC-14/2010.— In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) based on the experience gained so far and feedback received from time to time from various stakeholders recognizes that need has arisen to amend certain provisions of the JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010.

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for State of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable Energy) First Amendment Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Amendment in Table-1 of sub Regulation (1.1) in the principal Regulations—The table is to be replaced as under:—

TABLE-1

Financial Year	Minimum Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO) of Renewable Energy (in KWH).		
	Total RPO (%)	Solar RPO (%)	Non-Solar RPO (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010-11	1.00	0.25	0.75
2011-12	2.00	0.30	1.70
2012-13	3.00	0.40	2.60
2013-14	3.00	0.40	2.60
2014-15	3.30	0.60	2,70
2015-16	3.55	0.85	2.70
2016-17	3.95	1.15	2.80
2017-18	4.30	1.50	2.80
2018-19	4.65	1.85	2.80
2019-20	5.10	2.20	2.90
2020-21	5.50	2.60	2.90
2021-22	6.00	3.00	3.00

3. Amendment in Regulation 1 sub Regulation (2) in the Principal Regulations—This sub-Regulation will be deleted.

4. Amendment in Regulation 2 (p). The definition of 'Renewable Energy Sources' will be replaced as under :—

"Renewable Energy Sources" means Electricity generating sources recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy and includes bundled power purchase (to the extent of Renewable Energy content in the bundled Power), power generated from co-generation based power plants wherein the fuel used is non-fossil fuel duly recognized as renewable sources by MNRE and certified by the State accredited agency.

5. Amendment in Regulation 2 (k). The definition of 'Obligated Entity' will be replaced as under :—

"Obligated Entity" means the entity mandated under clause (e) of sub-section (1) section 86 of the Act fulfill the renewable purchase obligation under these Regulations and includes distribution licensee, captive user for 1 MW and above with fossil fuel (excluding co-generation based captive power plants) and open access consumer.

6. Amendment in Regulation 2. Following definition as 2 (s) is to be added :—

"Renewable Purchase Obiligation" means quantum as mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act and specified under these Regulations for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources.

RAJEEV AMIT, Secy., JERC for Goa &UTs

[ADVT. III/4/Exty./218-I/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.